E-mail: justiceambit@gmail.com
E-mail: legalambit.ho@gmail.com

PRGI No: RJBIL/26/A2945

नागौर से प्रकाशित...

# जस्टिस एम्बिट

हिन्दी एवं English मासिक

सत्य | न्याय | अधिकार

पढ़े.... 2
नगर परिषद...

पढ़े.... 3
जमीन ली है...

वर्षः 01 | अंकः 03 | नागौर, बुधवार 01 जुलाई, 2026 | मूल्यः 10.00 रुपए | पृष्ठः 8

## 13 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त...

# 'अदालती आदेश मानना विकल्प नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी'

**नई दिल्ली/न्याय संवाददाता**

देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय के आदेशों को अपनी सुविधा के अनुसार नहीं टाल सकते। Reena Kumari & Ors. v. Praveer Kumar & Ors. (2026 INSC 642) में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की वर्षों तक चली देरी और आदेशों की गलत व्याख्या पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना सिर्फ गलती नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार जानबूझकर की गई अवमानना (Willful Disobedience) भी मानी जा सकती है।

मामला उन महिला स्वास्थ्यकर्मियों (ANM) से जुड़ा था, जिन्होंने वर्षों तक संविदा आधार पर सेवा देने के बाद नियमित नियुक्ति की मांग की थी। पहले हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें बाहरी उम्मीदवारों पर प्राथमिकता (Preference) दी जाए और रिक्त पद पहले इन्हीं से भरे जाएं। लेकिन राज्य सरकार ने इन महिलाओं को बाहरी अभ्यर्थियों के साथ समान मेरिट सूची में शामिल कर दिया।

बाद में अवमानना याचिका भी खारिज कर दी गई, यह कहते हुए कि सरकार ने आदेश को अपनी समझ से लागू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत माना। अदालत ने कहा कि जब आदेश स्पष्ट हो तो प्रशासन अपनी अलग व्याख्या नहीं कर सकता।

### कानूनी संदेश

यह फैसला भविष्य के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है– अगर अदालत का आदेश स्पष्ट है, तो सरकारी विभाग उसे टालने, बदलने या अपनी सुविधा से पढ़ने का अधिकार नहीं रखते। आदेशों का पालन संवैधानिक दायित्व है, विकल्प नहीं।

### अदालत की बड़ी टिप्पणियां

- "Preference" का अर्थ केवल विचार करना नहीं, बल्कि बाहरी उम्मीदवारों से पहले अवसर देना है।
- अदालत के स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज कर अलग रास्ता अपनाना सिर्फ Error of Judgment" नहीं माना जा सकता।
- अवमानना कार्यवाही का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।
- राज्य एक Model Employer है, इसलिए उससे कानून पालन की अधिक अपेक्षा की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल आदेश 2013 में छह सप्ताह में लागू होना था, लेकिन वास्तविक नियुक्तियों तक मामला लगभग 13 वर्षों तक खिंच गया। अदालत ने टिप्पणी की कि जिन महिलाओं ने दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दीं, उन्हें अपने वैध अधिकार पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा।

हालांकि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अधिकांश प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए, इसलिए अदालत ने इसे पर्याप्त अनुपालन मानते हुए अवमानना समाप्त कर दी, लेकिन 1 लाख की सांकेतिक लागत (Cost) भी लगाई। यह राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा करने का निर्देश दिया गया।

# 90 साल पुराने दस्तावेजों के आगे नहीं चला प्रशासन का शक

## हाईकोर्ट ने छात्रों को दिलाया जनजाति प्रमाणपत्र, कहा– 'पहचान का फैसला प्रमाण से होगा, अनुमान से नहीं'

**नागपुर/ विशेष संवाददाता/ JUSTICE AMBIT**

जाति सत्यापन मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ विरोधाभासी रिकॉर्ड, संदेह या अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति के जनजातीय अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने तीन छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जाति सत्यापन समिति का आदेश निरस्त कर दिया और उन्हें 'धोबा' अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। मामले में छात्रों ने अपने पूर्वजों से जुड़े 1930 और 1945 के आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड पेश किए थे, जिनमें उनकी जाति धोबा दर्ज थी। दूसरी ओर समिति ने कुछ ऐसे रिकॉर्डों का सहारा लिया जिनमें धोबी लिखा हुआ था और इन्हीं के आधार पर दावा अस्वीकार कर दिया गया। सुनवाई के दौरान छात्रों ने अदालत को बताया कि जिन व्यक्तियों के रिकॉर्ड उनके खिलाफ प्रस्तुत किए गए, उनका उनके परिवार से कोई संबंध नहीं था और वे उनकी स्वीकृत वंशावली में भी शामिल नहीं थे। रिकॉर्ड की जांच के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि समिति यह साबित ही नहीं कर सकी कि कथित विरोधी प्रविष्टियां वास्तव में छात्रों के रक्त संबंधियों की थीं। अदालत ने माना कि बिना पारिवारिक संबंध स्थापित किए ऐसे रिकॉर्डों को आधार बनाना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, समिति ने कुछ दस्तावेजों में कथित काट-छांट या बदलाव की आशंका भी जताई थी, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी दस्तावेज को संदिग्ध बताने के लिए केवल अनुमान पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विशेषज्ञ जांच और ठोस आधार आवश्यक है। अदालत ने यह भी दोहराया कि जाति सत्यापन में उपयोग होने वाला Affinity Test (परंपरा, सामाजिक व्यवहार और सांस्कृतिक पहचान की जांच) अंतिम कसौटी नहीं माना जा सकता। यदि विश्वसनीय और पुराने दस्तावेज उपलब्ध हों तो उन्हें प्राथमिक महत्व दिया जाएगा।

### JUSTICE AMBIT VIEW

यह फैसला केवल तीन छात्रों को राहत देने वाला आदेश नहीं, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि पहचान, अधिकार और भविष्य का निर्णय अनुमान से नहीं बल्कि प्रमाण और निष्पक्ष जांच से होना चाहिए। जब पुराने और विश्वसनीय दस्तावेज मौजूद हों, तब केवल विरोधी प्रविष्टियों या तकनीकी व्याख्याओं के आधार पर अधिकारों को नकारना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। यह निर्णय बताता है कि सत्यापन का उद्देश्य अधिकारों को सीमित करना नहीं, बल्कि सत्य को स्थापित करना होना चाहिए।

**– संपादकीय विभाग, JUSTICE AMBIT**

**न्याय के लिए - सत्य के साथ - अधिकार की आवाज**

### फैसले की मुख्य बातें

- पूर्व-स्वतंत्रता काल के दस्तावेज सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाएंगे।
- विरोधी रिकॉर्ड तभी मान्य होंगे जब उनका वास्तविक पारिवारिक संबंध साबित हो।
- केवल संदेह के आधार पर दस्तावेज अमान्य नहीं किए जा सकते।
- Affinity Test सहायक है, अंतिम आधार नहीं।
- प्रमाण आधारित सत्यापन ही न्यायसंगत प्रक्रिया है।

# एक वोट का खेल और गिर गया अविश्वास प्रस्तावः हाईकोर्ट ने बहाल किया अध्यक्ष पद

## जिसे वोट देने का अधिकार था, उसे बैठक से बाहर नहीं रखा जा सकता'

**मुंबई/न्याय संवाददाता**

सहकारी हाउसिंग सोसायटियों की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को वैध मानने के लिए केवल बहुमत नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष और कानूनसम्मत होना आवश्यक है। मामला उस समय विवाद में आया जब सोसायटी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बैठक बुलाने के बाद लेकिन मतदान से पहले प्रबंधन समिति में एक नए सदस्य की वैध नियुक्ति हो चुकी थी। इसके बावजूद उस सदस्य को बैठक का नोटिस नहीं दिया गया और उसे मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। बाद में 9 सदस्यों की बैठक में 6 वोटों से प्रस्ताव पारित घोषित कर अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी कसौटी पर अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस सदस्य को कानूनन मतदान का अधिकार था, उसे बैठक में शामिल ही नहीं किया गया, इसलिए पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण हो गई।

### एक सदस्य नहीं बुलाया... और पूरा फैसला बदल गया

अदालत ने माना कि यदि नए सदस्य को बैठक में बुलाया जाता तो कुल सदस्यों की संख्या 10 हो जाती। ऐसी स्थिति में 6 वोट दो-तिहाई बहुमत नहीं माने जा सकते थे। यानी जिस अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष हटाया गया, वह आवश्यक कानूनी बहुमत हासिल ही नहीं कर पाया था।

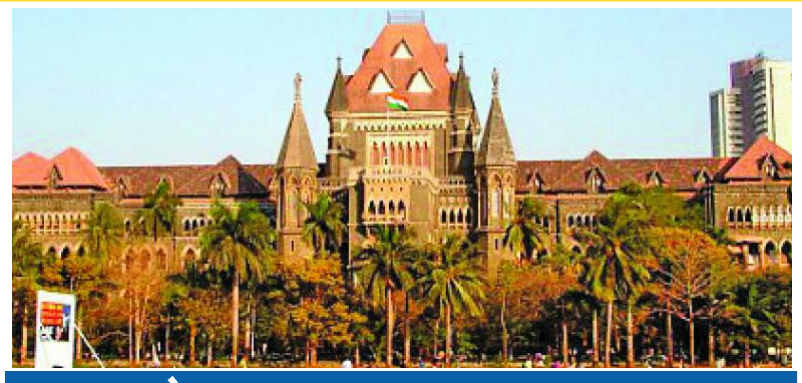



### अदालत ने क्या कहा?

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि–

- यदि कोई सदस्य बैठक की तारीख से पहले वैध रूप से नियुक्त हो चुका है, तो उसे मतदान का अधिकार मिलेगा।
- नोटिस न देकर किसी सदस्य को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता।
- उपस्थित और मतदान के पात्र सदस्य का अर्थ केवल मौजूद लोग नहीं, बल्कि वे सभी सदस्य हैं जिन्हें बैठक में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए था।
- दो-तिहाई बहुमत की गणना में आने वाले भिन्न (Fraction) को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

### नया अध्यक्ष भी अवैध घोषित

हाईकोर्ट ने कहा कि जब मूल अविश्वास प्रस्ताव ही अवैध था तो उसके आधार पर चुना गया नया अध्यक्ष भी वैध नहीं माना जा सकता। इसके साथ अदालत ने पूर्व अध्यक्ष का पद पुनः बहाल कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि समिति के सदस्य चाहें तो वे भविष्य में कानून के अनुसार नया अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।

### कानूनी संदेश

यह फैसला सहकारी संस्थाओं, समितियों और संगठनों के लिए बड़ा संदेश है—लोकतंत्र में केवल वोटों की संख्या नहीं, बल्कि हर पात्र व्यक्ति को भागीदारी का अधिकार देना भी उतना ही आवश्यक है। प्रक्रिया में त्रुटि होने पर बहुमत भी टिक नहीं सकता।

# आरटीआई रिकॉर्ड मामले में 13 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में आपराधिक परिवाद

**तत्कालीन एएसपी, डीएसपी, थानाधिकारी समेत कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप**

**कोटपूतली।** वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता एवं लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, कोटपूतली में 13 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक परिवाद दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए अभिलेखों का निरीक्षण नहीं कराया गया, शिकायतों पर वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई, धमकियां दी गईं तथा मामले से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया गया। परिवाद में जिन अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है उनमें तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) नेम सिंह, वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) नाजिम अली, तत्कालीन वृत्ताधिकारी (बानसूर) सत्यप्रकाश, तत्कालीन वृत्ताधिकारी (बहरोड़) कृतिका यादव, सहायक उपनिरीक्षक कबूल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। राव धनबीर सिंह का आरोप है कि आरटीआई के तहत मांगे गए रिकॉर्ड का निरीक्षण कराने के आदेशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया। 20 मार्च 2024 को बानसूर थाने पहुंचने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा कथित रूप से झूठे मुकदमे में फंसाने और हवालात में बंद करने की धमकी दी गई। शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रामक जांच रिपोर्ट तैयार की, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से छेड़छाड़ की तथा दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। परिवादी ने न्यायालय से क्ष्हस्स, 2023 की धारा 175(3) के तहत सभी आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने तथा दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई के आदेश देने की मांग की है।

**(नोटः यह समाचार न्यायालय में दायर परिवाद में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया एवं जांच के अधीन है।)**

सम्पादक की कलम से...

# पुलिस एक्ट-2007 आज भी अधूरा, जवाबदेही समितियों के अभाव में व्यवस्था पर सवाल

**महावीर प्रसाद पारीक**
चीफ एडीटर

राजस्थान में पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में लागू किए गए राजस्थान पुलिस अधिनियम-2007 का आज तक पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इस संबंध में लीगल अम्बिट के सीईओ एवं फाउंडर महावीर पारीक (खींवज) ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारियों और पुलिस मिशन के दौरान किए गए निरीक्षणों के आधार पर राज्य सरकार से पुलिस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की है। महावीर पारीक ने बताया कि लीगल अम्बिट द्वारा विभिन्न पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन प्रमुख विषयों-पुलिस अधिनियम-2007, पुलिस आधुनिकीकरण तथा अपराध की रोकथाम-पर विशेष रूप से अध्ययन किया गया। उनका कहना है कि यदि इन तीनों क्षेत्रों में प्रभावी सुधार हो जाए तो पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन संभव है और जनता का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर

2007 को राजस्थान पुलिस अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा-28 के तहत पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन, धारा-48 के तहत प्रत्येक गांव में विलेज गार्ड की नियुक्ति, धारा-55 के तहत थाना एवं पंचायत स्तर पर कम्युनिटी लाइजन ग्रुप का गठन तथा राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों के गठन का स्पष्ट प्रावधान है। पारीक का आरोप है कि अधिनियम लागू होने के वर्षों बाद भी इन प्रावधानों को पूरी तरह धरातल पर लागू नहीं किया गया। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जवाबों से यह सामने आया कि लंबे समय तक राज्य में जवाबदेही समितियों का गठन नहीं हुआ। बाद में कुछ जिलों में समितियां बनाई गईं, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्गठन नहीं किया गया। वहीं, कई स्थानों पर सीएलजी का गठन भी अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं किया गया तथा समाजसेवियों के बजाय राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों को सदस्य बना दिया गया। उन्होंने कहा कि

पुलिस अधिनियम-2007 की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थानांतरण नीति है, जिसके अनुसार किसी पुलिस अधिकारी का दो वर्ष से पहले बिना ठोस कारण स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इससे राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगती और पुलिस अधिकारी निष्पक्ष होकर कार्य कर पाते। लेकिन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने से आज भी पुलिस व्यवस्था पर राजनीतिक दबाव बना रहता है। महावीर पारीक ने राज्य सरकार से मांग की कि राजस्थान पुलिस अधिनियम-2007 के सभी प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, पुलिस जवाबदेही समितियों एवं सीएलजी का पुनर्गठन किया जाए तथा पुलिस व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाया जाए। महावीर पारीक ने कहा कि पुलिस एक्ट-2007 केवल कानून नहीं, बल्कि जनता को निष्पक्ष, जवाबदेह और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त पुलिस व्यवस्था देने का संकल्प है। यदि इसे पूरी तरह लागू किया जाए तो राजस्थान की पुलिस व्यवस्था देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

# कलम नहीं, बदलाव की ताकत

**रत्तीराम गुर्जर**
प्रधान संपादक
राइट टू एक्शन

हर समाज में दो तरह की आवाजें होती हैं – एक जो हालात को देखकर चुप रह जाती है और दूसरी जो अन्याय, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं के खिलाफ खड़ी होती है। इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा उन्हीं आवाजों से आया है जिन्होंने सच बोलने का साहस किया। पत्रकारिता भी ऐसी ही एक आवाज है, जो केवल खबर नहीं बताती बल्कि समाज को दिशा देने का काम करती है।

आज के समय में समाचारों की भीड़ है, सूचनाओं की बाढ़ है और हर पल नई खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि खबर कितनी तेजी से पहुंची, सवाल यह है कि खबर कितनी सच्ची और कितनी जनहित में है। क्योंकि अधूरी जानकारी भ्रम पैदा करती है, जबकि सच्ची पत्रकारिता समाज में विश्वास पैदा करती है। राइट टू एक्शन सिर्फ एक समाचार पत्र का नाम नहीं, बल्कि एक सोच, एक जिम्मेदारी और एक संकल्प है। हमारा मानना है कि समाज की समस्याओं पर केवल चर्चा करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव तब आता है जब मुद्दों पर आवाज उठे और आवाज से कार्रवाई का रास्ता बने। हमारी कलम का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेना नहीं, बल्कि सत्य और जनहित का साथ देना है। हम उन मुद्दों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आमजन के जीवन को प्रभावित करते हैं। गांव की सड़क से लेकर शहर की समस्याओं तक, किसान से लेकर युवा तक और आम नागरिक से लेकर प्रशासन तक – हर उस आवाज को मंच देना हमारा कर्तव्य है, जिसे सुना जाना चाहिए। सच्ची पत्रकारिता सत्ता से डरती नहीं, दबाव में झुकती नहीं और सच से समझौता नहीं करती। क्योंकि एक अखबार केवल कागज पर छपे शब्दों का संग्रह नहीं होता, वह समाज की सोच, जनता की उम्मीद और लोकतंत्र की ताकत होता है।

राइट टू एक्शन का विश्वास है –

जहां सवाल खत्म होते हैं, वहां लोकतंत्र कमजोर होने लगता है और जहां सच बोलने का साहस जिंदा रहता है, वहीं बदलाव जन्म लेता है।

**कलम चलेगी, सच बोलेगा और बदलाव होगा।**

## RTI कार्यकर्ता आलोक यादव की पहल से बड़ा खुलासा...

**उदयपुर।** सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत लीगल अम्बिट के उदयपुर जिला अध्यक्ष एवं आरटीआई कार्यकर्ता आलोक यादव द्वारा मांगी गई जानकारी के जवाब में राजस्थान गोपालन निदेशालय ने राज्यभर की गौशालाओं एवं नंदीशालाओं पर हुए सरकारी खर्च का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है। इस खुलासे में वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई सहायता राशि तथा वर्ष 2025-26 के प्रथम चरण में हुए भौतिक सत्यापन का विस्तृत ब्यौरा शामिल है। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, प्रदेशभर में 4,421 गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन में 11,67,456 बड़े गोवंश, 2,65,871 छोटे गोवंश तथा कुल 14,33,327 गोवंश दर्ज कि।

# 'परिवार ही वह मंदिर है, जहाँ से संस्कारों का प्रकाश पूरे समाज को आलोकित करता है'

### समाज कल्याण समिति के संस्थापक पवन जैन एवं मंत्री जितेंद्र जैन ने पारिवारिक नैतिक मूल्यों पर व्यक्त किए भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी विचार...

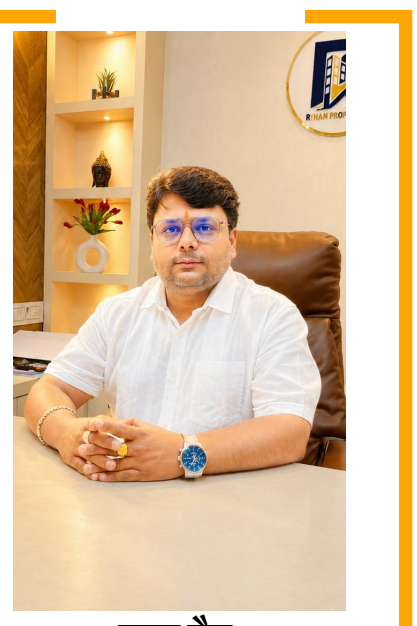

**पवन जैन**
संस्थापक, समाज कल्याण समिति

आज का युग आधुनिकता, तकनीक और तेज़ी से बदलती जीवनशैली का युग है। हर व्यक्ति सफलता, धन और सुविधाओं की तलाश में निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस भागदौड़ में यदि सबसे अधिक किसी चीज़ की अनदेखी हुई है, तो वह है परिवार। जिस परिवार की छाँव में हम बड़े होते हैं, जिसके प्रेम, त्याग और संस्कार हमें जीवन जीना सिखाते हैं, आज वही परिवार समय के अभाव, बढ़ती दूरियों और बदलती सोच के कारण धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है। परिवार केवल एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार वह स्थान है जहाँ एक बच्चा पहली बार बोलना, चलना, प्रेम करना, सम्मान देना और जीवन के सही-गलत का अंतर समझना सीखता है। माँ की ममता, पिता का संघर्ष, दादा-दादी का अनुभव और भाई-बहनों का स्नेह-यही वह अनमोल धरोहर है जिसे कोई धन-दौलत कभी नहीं खरीद सकती। आज हम अपने बच्चों को महंगे स्कूल, आधुनिक सुविधाएँ और हर तरह का आराम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम उन्हें समय, संस्कार और अपनापन देना भूलते जा रहे हैं। बच्चे अब परिवार के साथ बैठकर बातें करने से अधिक समय मोबाइल और स्क्रीन के साथ बिताने लगे हैं। घरों में एक साथ भोजन करने की परंपरा कम होती जा रही है, संवाद की जगह संदेशों ने ले ली है और रिश्तों की गर्माहट धीरे-धीरे औपचारिकता में बदलती जा रही है। यह स्थिति केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय है। आज मानसिक तनाव, अकेलापन, अवसाद, पारिवारिक विवाद और बढ़ती सामाजिक असंवेदनशीलता के पीछे कहीं न कहीं पारिवारिक मूल्यों का कमजोर होना भी एक कारण है। जब परिवारों में संवाद कम होता है, तो गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। जब बच्चे बड़ों का सान्निध्य खो देते हैं, तो संस्कार भी कमजोर पड़ने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि धन जीवन को सुविधाएँ दे सकता है, लेकिन सुख नहीं; बड़ा घर मिल सकता है, लेकिन परिवार का अपनापन नहीं; ऊँचा पद मिल सकता है, लेकिन माता-पिता का आशीर्वाद नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है, जहाँ परिवार साथ हो, रिश्तों में विश्वास हो और घर में प्रेम का वातावरण हो। हमारे भारतीय संस्कार सदैव कहते आए हैं कि मातृ देवो भव:, पितृ देवो भव:। यह केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा है।

जिस घर में माता-पिता का सम्मान होता है, बुजुर्गों की बातों को महत्व दिया जाता है, महिलाओं का आदर होता है और बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम अपने परिवार को अधिक सुविधाएँ दें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें अपना समय दें, अपना स्नेह दें और अपना साथ दें। दिन में कुछ समय बिना मोबाइल के परिवार के साथ बैठें, साथ भोजन करें, बच्चों से खुलकर बात करें, बुजुर्गों का हाल पूछें और अपने रिश्तों को केवल निभाएँ नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी करें।

याद रखिए, जब जीवन की कठिन राहों में सब साथ छोड़ देते हैं, तब सबसे पहले और सबसे अंत तक जो हमारे साथ खड़ा रहता है, वह परिवार ही होता है।

इसलिए परिवार को कभी हल्के में न लें। रिश्तों को समय दें, प्रेम को अभिव्यक्त करें और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना अपना कर्तव्य समझें। समाज कल्याण समिति का मानना है कि यदि हर परिवार अपने नैतिक मूल्यों, प्रेम, सम्मान और संस्कारों को फिर से अपने जीवन का आधार बना ले, तो समाज की अनेक समस्याएँ स्वत: कम हो जाएँगी।

मजबूत परिवार ही मजबूत समाज की पहचान हैं, और मजबूत समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। आइए, हम सभी संकल्प लें कि अपने परिवार को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, संस्कार और संवेदनाओं का ऐसा मंदिर बनाएँगे, जहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा बने।

क्योंकि विरासत केवल संपत्ति नहीं होती, सबसे बड़ी विरासत अच्छे संस्कार और एकजुट परिवार होता है।

## आरटीआई में बड़ा खुलासा

# 100 करोड़ की बजट घोषणा के डेढ़ साल बाद भी फाइलों में कैद महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट

**उदयपुर।** सरकार द्वारा बजट में 100 करोड़ रुपये की बड़ी घोषणा के बावजूद महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का सपना अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अभी भी परीक्षणाधीन है और विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता एवं लीगल अम्बिट, उदयपुर जिला अध्यक्ष आलोक यादव को पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। विभाग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 के वोट ऑन अकाउंट बजट में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। परियोजना के तहत चावंड, हल्दीघाटी,

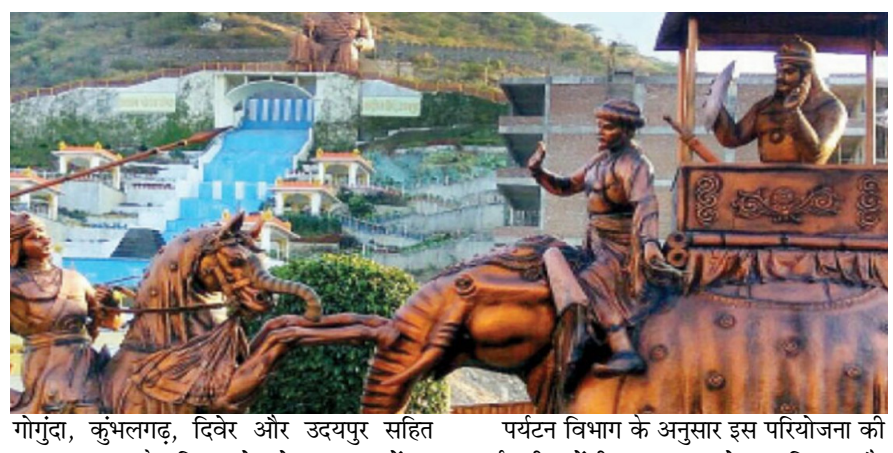

गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर सहित महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़े प्रमुख स्थलों का पर्यटन विकास प्रस्तावित है।

पर्यटन विभाग के अनुसार इस परियोजना की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान धरोहर प्राधिकरण है, जिसने कंसल्टेंट के माध्यम से डीपीआर तैयार करवाई है। हालांकि, डीपीआर अभी परीक्षण की प्रक्रिया में होने के कारण निर्माण एवं विकास कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके हैं। आलोक यादव ने कहा कि सरकार की बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन होना चाहिए। यदि 100 करोड़ रुपये जैसी महत्वपूर्ण योजना लंबे समय तक केवल कागजों में ही सीमित रहेगी तो इससे जनता की उम्मीदों और पर्यटन विकास दोनों को नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से डीपीआर को शीघ्र स्वीकृति देकर कार्य शुरू करने तथा परियोजना की वर्तमान प्रगति सार्वजनिक करने की मांग की। आरटीआई से एक बार फिर यह सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर बजट में घोषित 100 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना अब तक जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई।

# 'जमीन ली है तो पूरा मुआवजा भी देना होगा'

## सर्विस रोड के नाम पर भुगतान रोकना मनमाना – बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

**W.P. No. 1986/2016 7 Youvraj Namdeo Khaladkar & Anr. Vs. National Highway Authority of India & Ors. 7 निर्णय दिनांक: 12 जून 2026**

**औरंगाबाद/ विशेष न्याय संवाददाता/ JUSTICE AMBIT**

भूमि अधिग्रहण मामलों में किसानों और भू-स्वामियों के अधिकारों को मजबूती देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट, औरंगाबाद पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार या कोई प्राधिकरण यदि सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि लेता है तो अधिग्रहित पूरे क्षेत्र का मुआवजा देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है- चाहे उस भूमि का उपयोग सर्विस रोड, ओपन स्पेस या सार्वजनिक सुविधा के रूप में किया जाना हो।

यह फैसला Youvraj Namdeo Khaladkar & Anr. Vs. National Highway Authority of India & Ors. (2026 BHC-AUG 22966-DB) में न्यायमूर्ति किशोर सी. संत एवं न्यायमूर्ति सुशील एम. घोडेसवार की खंडपीठ ने सुनाया।

मामला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-211 (धुले-सोलापुर मार्ग) के चौड़ीकरण से जुड़ा था। अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुल 64,09,201 मुआवजा तय किया। लेकिन बाद में प्रशासन ने लगभग 2,168 वर्गमीटर भूमि के भुगतान से इनकार करते हुए कहा कि यह हिस्सा सर्विस रोड के लिए आरक्षित है और इस पर अलग से मुआवजा नहीं दिया जाएगा। भूमि मालिकों ने इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी।

### कोर्ट ने कहा – सार्वजनिक उपयोग का मतलब मुफ्त कब्जा नहीं

फैसले के पैरा-11 में हाईकोर्ट ने सीधे सर्वोच्च

न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय Pt. Chet Ram Vashist v. Municipal Corporation of Delhi, (1995) 1 SCC 47 का हवाला देते हुए कहा-

भूमि का प्रबंधन (Management) और भूमि का स्वामित्व (Ownership) एक नहीं हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी संस्था को सार्वजनिक हित में भूमि के उपयोग या प्रबंधन का अधिकार मिल सकता है, लेकिन वह बिना मुआवजा दिए स्वामित्व अपने नाम नहीं कर सकती।

### JUSTICE AMBIT VIEW

यह फैसला एक मूल संवैधानिक सिद्धांत को फिर स्थापित करता है-

विकास आवश्यक है, लेकिन विकास की कीमत केवल जमीन मालिक नहीं चुकाएंगे।

यदि राज्य नागरिक की संपत्ति लेता है, तो कानून उससे न्यायपूर्ण और पूर्ण प्रतिकर की अपेक्षा करता है।

यह निर्णय याद दिलाता है कि-

सार्वजनिक उद्देश्य, निजी अधिकारों को समाप्त नहीं करता; बल्कि उन्हें विधिसम्मत मुआवजे के साथ संतुलित करता है।

**– संपादकीय विभाग/ JUSTICE AMBIT**

कोर्ट ने कहा-जब भूमि अधिग्रहित होती है तो मालिक अपना स्वामित्व खो देता है। ऐसे में बिना मुआवजा दिए स्वामित्व हस्तांतरण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

### हाईकोर्ट ने सरकार का तर्क किया खारिज

राज्य पक्ष ने नगर नियोजन नियमों और सार्वजनिक उपयोग का हवाला देकर भुगतान रोकने की कोशिश की।

लेकिन अदालत ने पैरा-12 में कहा कि-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम या नगर नियोजन नियमों में ऐसा कोई अपवाद नहीं है जो सर्विस रोड, आंतरिक सड़क या खुली भूमि के लिए मुआवजा रोकने की अनुमति देता हो। कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णयों तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सिद्धांत पहले से स्थापित है कि सार्वजनिक सुविधा हेतु ली गई भूमि भी मुआवजा योग्य होती है।

### पैरा-13: कोर्ट की सबसे सख्त टिप्पणी

निर्णय में अदालत ने कहा-याचिकाकर्ता सर्विस रोड क्षेत्र सहित पूरी अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के पात्र हैं। भुगतान रोकने की कार्रवाई मनमानी है।

### दो महीने का समय, देरी हुई तो 50 हजार लागत

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को आदेश दिया कि पूरा भुगतान दो माह के भीतर किया जाए। यदि भुगतान में देरी हुई तो 50,000 की लागत और अन्य वैधानिक लाभों के साथ राशि देनी होगी।

### फैसले का दूरगामी असर

यह निर्णय भविष्य में उन हजारों भूमि मालिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिनकी जमीन- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं

- सड़क चौड़ीकरण
- औद्योगिक विकास
- नगर नियोजन योजनाओं
- सार्वजनिक सुविधाओं के नाम पर अधिग्रहित की जाती है।

# डीडवाना में मनरेगा का बड़ा खुलासा: 20 मई 2021 को मृत महिला ने 15 जनवरी 2023 तक किया काम!

**दो मस्टर रोल, एक ही MB, मोबाइल से दर्ज हाजिरी और सरकारी भुगतान के रिकॉर्ड ने खड़े किए गंभीर सवाल**

**प्रथम दृष्टया सरकारी अभिलेखों में कूटरचना, फर्जी प्रविष्टि एवं सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका; निष्पक्ष जांच की मांग तेज**

**डीडवाना।** डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोलिया में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर मामला सामने आया है। उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के अनुसार मनोज पत्नी भरत कुमार, निवासी कोलिया, जिनका 20 मई 2021 को जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में निधन हो चुका था, उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में 15 जनवरी 2023 तक जीवित दर्शाकर मनरेगा कार्य करने और भुगतान दर्ज किए जाने का दावा किया गया है। यदि उपलब्ध दस्तावेज जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों में कूटरचना , फर्जी उपस्थिति, सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन का गंभीर प्रकरण बन सकता है।

### दो मस्टर रोल में दर्ज है मृत महिला का नाम

दस्तावेजों के अनुसार जॉब कार्ड संख्या RJ 27140020330177250 1/7303589 पर अपना खेत अपना काम योजना के तहत भंवरलाल/मांगीलाल के खेत में निजी टांका, केटल शेड एवं मेड़बंदी निर्माण कार्य दर्शाया गया है।

**रिकॉर्ड में-**

- मस्टर रोल संख्या 29033 में 16 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कार्य दर्ज है। संबंधित एम.बी. संख्या 1695 के पृष्ठ संख्या 86 पर इसका उल्लेख है।
- मस्टर रोल संख्या 31759 में 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक कार्य दर्ज है। इसका विवरण एम.बी. संख्या 1695 के पृष्ठ संख्या 90 पर अंकित है।

अर्थात, मृत्यु के लगभग 1 वर्ष 8 माह बाद तक सरकारी रिकॉर्ड में महिला को कार्यरत श्रमिक के रूप में दर्शाया गया।

### मोबाइल से दर्ज हुई हाजिरी ने बढ़ाई मामले की गंभीरता

दोनों मस्टर रोल में स्पष्ट रूप से "Rows Highlighted by Yellow Colour Indicates Attendance Has Been Taken From Mobile Device" अंकित है। इससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबंधित उपस्थिति मोबाइल आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से दर्ज की गई।

**ऐसे में कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं-**

- मृत महिला की मोबाइल आधारित उपस्थिति किसने दर्ज की?
- किस यूज़र आईडी और मोबाइल डिवाइस से उपस्थिति अपलोड हुई?
- जियो-लोकेशन एवं टाइम-स्टैम्प किस स्थान के हैं?
- सत्यापन के बाद भुगतान किस अधिकारी ने स्वीकृत किया?

### सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों की कसौटी पर मामला

सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में कहा है कि सरकारी धन जनता की अमानत है तथा उसके दुरुपयोग पर जवाबदेही तय होना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह सिद्धांत भी स्थापित किया है कि "Fraud vitiates all solemn acts", अर्थात धोखाधड़ी किसी भी प्रशासनिक या वैधानिक कार्यवाही की वैधता को समाप्त कर देती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच में रिकॉर्ड की सत्यता प्रमाणित होती है, तो यह मामला भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कूटरचना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक षड्यंत्र तथा सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े प्रावधानों के साथ-साथ मनरेगा अधिनियम और वित्तीय नियमों के उल्लंघन का विषय बन सकता है।

### उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग

मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा), राज्य स्तर की जांच एजेंसी तथा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। मांग की गई है कि डिजिटल उपस्थिति का पूरा लॉग, मोबाइल डिवाइस का विवरण, जियो-टैग, भुगतान स्वीकृति श्रृंखला और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

### संबंधित पक्ष का पक्ष

समाचार उपलब्ध दस्तावेजों एवं लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

(**संपादकीय टिप्पणी:** समाचार में वर्णित तथ्य उपलब्ध अभिलेखों और दावों पर आधारित हैं। अंतिम निष्कर्ष सक्षम जांच एजेंसी की जांच एवं विधिक प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होगा।)

## राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर कार्यशाला आयोजित, सटीक आंकड़ों को बताया प्रभावी नीति निर्माण की आधारशिला

**नागौर।** भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रो. पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय, नागौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व, प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग तथा सुदृढ़ नीति निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा प्रो. पी.सी. महालनोबिस के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी ने कहा कि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े ही प्रभावी योजनाओं और नीतियों की आधारशिला होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डेटा केवल अभिलेखों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की दृष्टि, योजनाओं की दिशा और विकास की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। उन्होंने सांख्यिकी कर्मियों से पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए सरकार के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक मिसाराम प्रजापत ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) की राजस्थान में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके माध्यम से उपभोक्ता व्यय, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल, स्वच्छता, दिव्यांगजन, घरेलू पर्यटन सहित अनेक सामाजिक एवं आर्थिक विषयों पर विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इन आंकड़ों का उपयोग नीति निर्माण, राष्ट्रीय आय के आकलन, अनुसंधान तथा क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान में किया जाता है। उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी राम कुमार राव ने प्रो. पी.सी. महालनोबिस के जीवन एवं योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण की नींव रखी तथा महालनोबिस दूरी जैसी महत्वपूर्ण सांख्यिकी पद्धति विकसित की, जिसके कारण उन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। कार्यशाला के दौरान जिले एवं ब्लॉक की एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट-2026, जिला एवं ब्लॉक फोल्डर तथा रूपरेखा का विमोचन किया गया। सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सांख्यिकी अधिकारी संजय कुमार सोनी, प्रोग्रामर जयदीप चारण, सहायक लेखाधिकारी रामेश्वरलाल तांडी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी मनीषा तथा सांख्यिकी निरीक्षक सहदेव डूकिया को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण 83 वर्षीय सेवानिवृत्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी नन्दकिशोर शर्मा रहे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर उनका शॉल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया गया।

# "समय बीतने से महिला का अधिकार खत्म नहीं होता"

**32 सप्ताह की गर्भावस्था पर हाईकोर्ट की ऐतिहासिक अनुमति, कहा- संविधान महिला की गरिमा और निर्णय के साथ खड़ा है**

**बेंगलुरु/ विशेष संवाददाता/ JUSTICE AMBIT**

एक संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गर्भावस्था की अवधि बढ़ जाना किसी महिला के संवैधानिक अधिकारों का अंत नहीं है। अदालत ने 32 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था वाली महिला को चिकित्सकीय निगरानी में मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देते हुए कहा कि महिला की शारीरिक स्वायत्तता, निजता और प्रजनन संबंधी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार हैं।

मामले में महिला नियमित चिकित्सकीय जांच करवा रही थी। प्रारंभिक जांच सामान्य रही, लेकिन बाद में हुई विशेष जांचों में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास से जुड़ी गंभीर चिकित्सकीय स्थिति सामने आई। विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि भविष्य में गंभीर न्यूरोलॉजिकल चुनौतियां और दीर्घकालिक चिकित्सकीय निर्भरता की आशंका हो सकती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित किया। बोर्ड ने अपनी राय में कहा कि स्थिति हर मामले में जीवन के साथ असंगत नहीं मानी जा सकती, लेकिन गंभीर विकासात्मक और न्यूरोलॉजिकल प्रभाव की संभावना महत्वपूर्ण है और चिकित्सा दृष्टि से गर्भसमापन पर विचार किया जा सकता है।

निर्णय देते हुए अदालत ने महिला की इच्छा, चिकित्सा विशेषज्ञों की राय और संवैधानिक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी।

### कोर्ट ने क्या कहा

अपने फैसले में अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा-

किसी महिला के शरीर पर उसके निर्णय का अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि समय बीत गया है।

**अदालत ने आगे माना कि-**प्रजनन संबंधी निर्णय लेना महिला की स्वतंत्रता, गरिमा और निजी जीवन का हिस्सा है और इसे केवल तकनीकी सीमाओं से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल यह तथ्य कि भ्रूण जन्म के बाद जीवित रह सकता है, अपने आप में गर्भसमापन से इनकार का आधार नहीं बनता।

**अदालत के अनुसार-**जीवन की संभावना के साथ-साथ

### JUSTICE AMBIT VIEW

यह फैसला कानून और संवेदनशीलता के संतुलन का उदाहरण है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि कठिन परिस्थितियों में लिया गया निजी निर्णय केवल समयसीमा का प्रश्न नहीं बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और संवैधानिक स्वतंत्रता का विषय भी है।

इस निर्णय ने एक बार फिर स्थापित किया है कि न्यायालयों की भूमिका केवल कानून की पंक्तियां पढ़ना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में संवैधानिक संरक्षण देना भी है जहां व्यक्ति का जीवन, सम्मान और निर्णय केंद्र में हो।

**– संपादकीय विभाग, JUSTICE AMBIT**

**न्याय के लिए - सत्य के साथ - अधिकार की आवाज**

संभावित जीवन की गुणवत्ता, चिकित्सकीय स्थिति और भविष्य की परिस्थितियों को भी देखना आवश्यक है।

### सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों का भी हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि- महिला की प्रजनन स्वतंत्रता को केवल भ्रूण की स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता। अधिकार परिस्थितियों से नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता से जन्म लेते हैं।

कोर्ट ने यह भी माना कि देर से सामने आई चिकित्सकीय जानकारी या परिस्थितियां महिला के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं करतीं।

### निजता की रक्षा पर विशेष निर्देश

अदालत ने आदेश दिया कि महिला की पहचान, मेडिकल रिकॉर्ड और मामले से जुड़ी निजी जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाए तथा प्रक्रिया विशेषज्ञ चिकित्सकीय निगरानी में सुरक्षित तरीके से पूरी की जाए।

# एफआईआर दर्ज नहीं करना पड़ा भारी

## कोर्ट ने तत्कालीन थानाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश, एसपी व सीओ से भी मांगा जवाब

**श्रीगंगानगर।** संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में सूरतगढ़ की अदालत ने पुलिस प्रशासन पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए तत्कालीन थानाधिकारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 199(1)(ग) के तहत एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित वृत्ताधिकारी (सीओ) को नोटिस जारी कर 10 दिन में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए गए हैं।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि पीड़ित ने 16 अप्रैल 2026 को थाना सूरतगढ़ शहर में संज्ञेय अपराध की लिखित शिकायत दी थी तथा 17 अप्रैल को जिला पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी थी। इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय केवल जांच जारी रखी, जिससे पीड़ित को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी दायित्व है। सर्वोच्च न्यायालय के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहित विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज न करना कानून की अवहेलना है और संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।

अदालत ने आदेश दिया कि तत्कालीन थानाधिकारी के खिलाफ विधि अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराई जाए जो संबंधित वृत्त से बाहर का हो। जांच एक माह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

हालांकि न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। दोनों अधिकारियों को 10 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद न्यायालय आगे की कार्रवाई पर निर्णय करेगा।

# "सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती"

## PWD की देरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1% हर्जाना सीमा टूटी, ठेकेदार को मिली राहत

Public Works Department, Government of Maharashtra Vs. Khare And Tarkunde Infrastructure Pvt. Ltd.
2026 BHC-OS 12904 7 Arbitration Petition No. 262 of 2024
(संबद्ध याचिकाएं 263/2024 एवं 264/2024)
न्यायालय: बॉम्बे हाईकोर्ट (Ordinary Original Civil Jurisdiction)
**पीठ:** माननीय न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरासन
**निर्णय दिनांक:** 12 जून 2026
**सुनवाई सुरक्षित:** 30 मार्च 2026

**विशेष न्याय रिपोर्ट / JUSTICE AMBIT**

18 महीने की परियोजना 45 महीने तक खिंची – फिर शुरू हुआ कानूनी संघर्ष

महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (PWD) और Khare and Tarkunde Infrastructure Pvt. Ltd. (KTIPL) के बीच सड़क अवसंरचना निर्माण अनुबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद अंततः बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा। यह परियोजना लगभग 148.51 करोड़ की थी। अनुबंध के अनुसार विभाग को परियोजना शुरू होने के 15 दिनों के भीतर 90% Right of Way (ROW) उपलब्ध कराना था ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।

लेकिन रिकॉर्ड में सामने आया कि–
- जमीन अधिग्रहण समय पर नहीं हुआ,
- कार्यस्थल उपलब्ध नहीं कराया गया,
- ठेकेदार लगातार पत्र लिखता रहा,
- और परियोजना 18 महीने के बजाय 45 महीने तक लटक गई। विवाद बढ़ने पर मामला अर्बिट्रेशन में गया।

### अर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला

ट्रिब्यूनल ने माना कि– PWD ने अनुबंध की मूल शर्त का पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति में अनुबंध में मौजूद 1% Damages Cap Clause लागू नहीं होगी। ट्रिब्यूनल ने ठेकेदार को अनुबंध सीमा से अधिक क्षतिपूर्ति दी।

PWD ने इसे Arbitration and Conciliation Act, 1996 की धारा 34 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कोर्ट ने कहा – अनुबंध पढ़ो, लेकिन न्याय भी देखो

फैसले के पैरा 14-16 में अदालत ने धारा 28(3) की नई व्याख्या करते हुए कहा–

मध्यस्थ को अनुबंध को केवल यांत्रिक तरीके से लागू नहीं करना है, बल्कि उसकी शर्तों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक न्याय और वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय देना है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि– पहले कानून कहता था कि निर्णय अनुबंध के अनुसार होगा, लेकिन संशोधन के बाद अब न्यायाधिकरण को अनुबंध को 'Take into Account' करना है।

कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन– 'व्यवसायिक व्यवहार्यता (Business Efficacy)'

अदालत ने Nabha Power Ltd. v. Punjab State Power Corporation Ltd. (2018) 11 SCC 508 का हवाला देते हुए कहा– यदि किसी अनुबंध की शाब्दिक व्याख्या से अन्यायपूर्ण या हास्यास्पद परिणाम निकलता है, तो अदालत व्यावसायिक व्यवहार्यता (Business Efficacy Test) लागू कर सकती है।

**पैरा 40 –** कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा– यदि PWD की दलील मान ली जाए तो विभाग ठेकेदार को 5 वर्ष या 10 वर्ष तक साइट पर रोके रख सकता है और फिर भी नुकसान की भरपाई केवल 1% तक सीमित रहेगी। ऐसा सिद्धांत असंगत और अन्यायपूर्ण होगा।

कोर्ट ने कहा– कोई पक्ष अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता।

### कोर्ट ने किन फैसलों पर भरोसा किया

1. ONGC Ltd. v. Saw Pipes Ltd. (2003) 5 SCC 705
– मध्यस्थ निर्णय की न्यायिक समीक्षा।
2. Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd. 1. NHAI (2019) 15 SCC 131
– Section 28(3) की संशोधित व्याख्या।
3. Nabha Power Ltd. 1. Punjab State Power Corporation Ltd. (2018) 11 SCC 508
– Business Efficacy Test.
4. K.N. Sathyapalan v. State of Kerala (2007) 13 SCC 43
– सरकारी देरी और क्षतिपूर्ति सिद्धांत।
5. Simple& Concrete Piles v. Union of India (2018)
– अनुबंध सीमा तब लागू नहीं जब मूल उल्लंघन स्वयं सरकार करे।
6. Gayatri Balasamy v. ISG Novasoft Technologies Ltd. (2025 SCC OnLine SC 1234)
– आंशिक रूप से पुरस्कार (Award) रद्द करने का सिद्धांत।
लेकिन ब्याज (Interest) पर कोर्ट ने अर्बिट्रेटर को रोका
जहां कोर्ट ने हर्जाना बरकरार रखा, वहीं ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया–18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज (Quarterly Compounded Interest) रद्द कर दिया।
**कारण–** अनुबंध में ब्याज की अलग व्यवस्था पहले से मौजूद थी।
कोर्ट ने कहा– मध्यस्थ अनुबंध की जगह अपनी नई ब्याज व्यवस्था नहीं बना सकता।
इस हिस्से को अलग कर पुनः अर्बिट्रेशन के लिए खुला छोड़ा गया।

### अंतिम आदेश (Final Outcome)

- हर्जाना (Damages) बरकरार
- 1% सीमा लागू नहीं
- ब्याज वाला हिस्सा रद्द
- ब्याज विवाद पुनः अर्बिट्रेशन हेतु खुला
- कोई लागत नहीं लगाई गई

### इस फैसले का असर

यह निर्णय आने वाले समय में–
- सरकारी ठेका विवाद
- सड़क परियोजनाएं
- EPC Contracts
- Arbitration Cases
- Delay Claims
- Compensation Disputes

में महत्वपूर्ण मिसाल माना जाएगा।

JUSTICE AMBIT VIEW

यह फैसला बताता है–

卐अनुबंध कानून केवल शब्दों का कानून नहीं है, बल्कि न्याय, व्यावसायिक समझ और जवाबदेही का भी कानून है।

यदि सरकार समय पर जमीन नहीं दे सकती, परियोजना नहीं चला सकती, तो वह बाद में अनुबंध की सीमा का सहारा लेकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

**– संपादकीय विभाग/ JUSTICE AMBIT**

# लाडनूं में आरटीआई कानून बेअसर! समय पर सूचना नहीं, अपीलें भी लंबित, राजकोष पर बढ़ रहा अनावश्यक बोझ

**महावीर पारीक**

**लाडनूं।** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लाडनूं के कई सरकारी विभागों में यह कानून कागज़ों तक सीमित होता दिखाई दे रहा है। लीगल अम्बिट के CEO एवं Founder महावीर पारीक ने आरोप लगाया है कि विकास अधिकारी कार्यालय, उपखंड कार्यालय, नगरपालिका तथा अन्य विभागों में सूचना के अधिकार के तहत दायर अनेक आवेदनों का निर्धारित 30 दिनों की अवधि में निस्तारण नहीं किया गया। कई मामलों में न सूचना दी गई और न ही अधिनियम के अनुरूप कोई कारण बताया गया।

महावीर पारीक ने कहा कि समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण आवेदकों को विवश होकर प्रथम एवं द्वितीय अपील करनी पड़ती है। इन अपीलों के कारण नोटिस जारी करने, रिकॉर्ड तलब करने, सुनवाई आयोजित करने तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों का अतिरिक्त समय और सरकारी संसाधन खर्च होते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी प्रारंभिक स्तर पर ही कानून का पालन करें, तो इन अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है और राजकोष पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी कम होगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति गंभीर नहीं हैं, जिसके कारण कानून का उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। महावीर पारीक ने कहा कि उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर प्रशासनिक समन्वय एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं। यदि अधीनस्थ विभाग लगातार सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसकी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी निर्धारित समय-सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और अपीलों के कारण सरकारी संसाधनों एवं राजकोष पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता रहा, तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की मांग, राज्य सूचना आयोग में कार्यवाही, लोकायुक्त, सक्षम न्यायालय तथा अन्य विधिक मंचों पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। महावीर पारीक ने कहा, सूचना का अधिकार अधिनियम कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जनता को दिया गया वैधानिक अधिकार है। यदि अधिकारी इस अधिकार की अनदेखी करेंगे, तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि सुशासन और पारदर्शिता की भावना को भी कमजोर करेगा। जवाबदेही तय होना ही कानून के शासन की पहली शर्त है।

### विशेष मांग

सभी लंबित **RTI** आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जाए। समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। प्रत्येक विभाग में **RTI** अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाए। अनावश्यक अपीलों के कारण सरकारी संसाधनों एवं राजकोष पर पड़ने वाले बोझ की प्रशासनिक जांच कराई जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

# प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली ओमप्रकाश मेघवाल के परिवार की जिंदगी

## ग्रामीण सेवा शिविर में पूरा हुआ पक्के घर का सपना

**नागौर।** राज्य सरकार के जनकल्याण अभियान के तहत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2026 आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। इसी क्रम में जिले की जायल के ग्राम तंवरा निवासी ओमप्रकाश मेघवाल का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साकार हुआ। ओमप्रकाश मेघवाल ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। कच्चे घर के कारण सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सुरक्षित एवं पक्के आवास का सपना आर्थिक परिस्थितियों के कारण अधूरा रह गया था। ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के दौरान ग्राम पंचायत तंवरा में आयोजित शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें पक्के मकान का लाभ मिला। शिविर में तहसीलदार राधिका चौधरी ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से उनके नए घर की चाबी प्रदान की। इस अवसर पर लाभार्थी और उनके परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। ओमप्रकाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके परिवार को सुरक्षित आशियाना ही नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ नया जीवन जीने का अवसर भी दिया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से उनका वर्षों पुराना सपना साकार हो सका। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर सरकार हर गरीब को पक्का घर के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है, जिससे जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है।

# सूचना आयोग में पुलिस का जवाबः 'शिकायतकर्ता के ईमेल से कोई मेल प्राप्त नहीं हुआ', आरटीआई विवाद ने पकड़ा तूल

**जयपुर/कोटपूतली-बहरोड़।** सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में पुलिस थाना प्रागपुरा ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपने लिखित जवाब में दावा किया है कि शिकायतकर्ता राव धनबीर सिंह नेवतरा द्वारा जिन ईमेल के माध्यम से आरटीआई आवेदन एवं पत्र भेजे जाने का उल्लेख किया गया है, वे थाना की आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्राप्त होने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पुलिस द्वारा आयोग को भेजे गए जवाब के अनुसार, शिकायतकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा-75 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर यह जानकारी मांगी थी कि वर्ष 2022 में ईमेल के माध्यम से भेजे गए उनके आरटीआई आवेदन एवं पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई तथा उससे संबंधित संपूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा ने आयोग को सूचित किया कि थाना के उपलब्ध ईमेल रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर शिकायतकर्ता की ईमेल आईडी से संबंधित तिथियों में थाना की आधिकारिक ईमेल आईडी पर कोई ईमेल प्राप्त होना दर्ज नहीं मिला। इसी आधार पर आयोग के समक्ष अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। मामला अब राजस्थान राज्य सूचना आयोग के विचाराधीन है। आयोग दोनों पक्षों के दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड एवं उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर यह तय करेगा कि सूचना उपलब्ध कराई जानी है या नहीं तथा प्रकरण में आगे क्या वैधानिक कार्रवाई आवश्यक है।

# कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने किया सेवड़ी मैं ग्राम सेवा शिविर का निरीक्षण, योजनाओं का लाभ पाकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह

**नागौर।** राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागौर तहसील की ग्राम पंचायत सेवड़ी में मंगलवार को ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का निरीक्षण जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में मौजूद ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली तथा उपस्थित अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । शिविर में 23 विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया।कलेक्टर कुमार ने विभागवार स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की और आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा शिविर में सात आपसी सहमति बंटवारे, धारा 136 के 15 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही करीब 50 वर्षों से लंबित राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धि सहित अन्य आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण के कार्य भी मौके पर संपादित किए गए, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी गईं। कृषि विभाग की ओर से किसान रामेश्वर सारण को फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए 90 हजार रुपये, सोलर प्लांट के लिए 1.50 लाख रुपये तथा प्याज भंडारण योजना के तहत 87,500 रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा किसान करणीसिंह को दुधारू पशु पर 40 हजार रुपये की पशु बीमा सहायता प्रदान की गई।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल रहा । ग्रामीणों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया। शिविर में उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर, तहसीलदार नरसिंह टाक, ब्लॉक विकास अधिकारी अमित चौधरी, सभी विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

# पुलिस अधीक्षक समेत तीन अधिकारियों को जिला उपभोक्ता आयोग का नोटिस, 30 दिन में जवाब देने के आदेश

## राव धनबीर सिंह की परिवाद याचिका पर आयोग का संज्ञान, जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी, 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।

**जयपुर/कोटपूतली-बहरोड़।** उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर (तृतीय) ने एक महत्वपूर्ण मामले में कोटपूतली-बहरोड़ के पुलिस अधीक्षक, परिवाद शाखा प्रभारी एवं गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए, तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा सकता है।

यह कार्रवाई लीगल अम्बिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव धनबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर की गई है। परिवाद में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राहत प्रदान करने की मांग की गई है, जिस पर प्रथम दृष्टया विचार करते हुए आयोग ने नोटिस जारी कर मामले को सुनवाई योग्य माना। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विपक्षी अधिकारियों को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया है कि वे अपने उत्तर के साथ समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं अभिलेख आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कानून के अनुरूप समयसीमा में जवाब देना अनिवार्य होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को प्रातः 10:00 बजे निर्धारित की गई है। अब इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों का जवाब और आयोग की आगामी कार्यवाही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राव धनबीर सिंह ने कहा कि कानून से ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा नागरिकों अथवा उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध सक्षम न्यायिक मंच पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाना इस बात का संकेत है कि प्रस्तुत परिवाद में ऐसे तथ्य पाए गए हैं जिन पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।

यह मामला अब प्रशासनिक एवं कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें सीधे पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी एवं गृह विभाग को आयोग के समक्ष जवाबदेह ठहराया गया है। आयोग के आगामी आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

# U.S. Supreme Court upholds birthright citizenship, rejecting Trump's proposed limits

**The birthright citizenship order, which Mr. Trump signed on the first day of his second term, is part of his administration's broad immigration crackdown**

**WASHINGTON:** Demonstrators hold letters making up the slogan 'Born in the USA = citizen!' outside the U.S. Supreme Court building. File. Demonstrators hold letters making up the slogan "Born in the USA = citizen!" outside the U.S. Supreme Court building. File. | Photo Credit: Reuters The United States Supreme Court on Tuesday (June 30, 2026) upheld a broad conception of birthright citizenship, rejecting President Donald Trump's executive order declaring that children born to people who are in the United States illegally or temporarily are not American citizens. The Justices relied on a long-settled understanding of the 14th Amendment, adopted after the Civil War, and more recent federal laws in ruling that anyone born in the country, with very limited exceptions, is a citizen. The Republican President's restrictions had been blocked by several lower courts and had not taken effect anywhere in the U.S. During arguments in April, both conservative and liberal Justices questioned the order's legality in a momentous case that was magnified by Trump's unprecedented attendance in the courtroom. The case framed another test of Mr. Trump's assertions of executive power that defy long-standing precedent for a court with a conservative majority and a robust view of presidential power that has largely ruled in his favour. In the notable exceptions when the court has not, Mr. Trump has responded with starkly personal criticisms of the Justices. The Justices ruled on Mr. Trump's appeal of a lower-court ruling from New Hampshire that struck down the citizenship restrictions. The birthright citizenship order, which Mr. Trump signed on the first day of his second term, is part of his administration's broad immigration crackdown. Birthright citizenship was the first Trump immigration-related policy to reach the court for a final ruling. The justices previously struck down global tariffs Mr. Trump had imposed under an emergency powers law that had never been used that way.

Mr. Trump reacted furiously to the late February tariffs decision, saying he was ashamed of the Justices who ruled against him and calling them unpatriotic. He also seemed to recognize the court was likely to rule against him on birthright citizenship, too, using his Truth Social platform to criticize "dumb judges and justices" and wealthy pregnant women from China and elsewhere who come to the U.S. to give birth so their newborns will have American citizenship.

Mr. Trump's order would have upended widely held views that the 14th Amendment confers citizenship on everyone born in the U.S., excluding only the children of foreign diplomats and those born to a foreign occupying force.

## How Gait Analysis Could Help Crack Ketan Agarwal Murder Case

**New Delhi:** As Pune Police intensify their investigation into the alleged murder of 26-year-old businessman Ketan Agarwal, forensic gait analysis has emerged as a key scientific tool that could help investigators identify the accused despite attempts to conceal his identity on CCTV. Police are planning to compare CCTV footage from Lohagad Fort, where Agarwal died after being allegedly pushed off a cliff by his 20-year-old fiancee, Siya Goyal, and her lover, Chetan Chaudhary, on June 18. While examining the CCTV footage, the police had noticed 22-year-old Chaudhary, who was wearing shorts and a hoodie, tailing Ketan and Siya on the trek to the fort. Investigators will now recreate a walk by Chaudhary and believe the exercise could establish whether the person captured on surveillance cameras is the accused. According to police, Chaudhary's face is not clearly visible in the CCTV footage because he was wearing a hoodie. This has prompted investigators to rely on gait analysis - a forensic technique that identifies individuals through their distinctive walking style, posture, stride length, limb movement and overall biomechanics. As part of the exercise, the accused is expected to wear clothing similar to that seen in the CCTV footage and walk along the same route at Lohagad Fort. The recreated recording will then be compared with the original footage to identify similarities in movement. IPS officer Mayank Gurjar, who headed the special investigation team (SIT) in the Chhattisgarh journalist Mukesh Chandrakar's murder case, said gait analysis has become particularly significant in the Pune investigation because traditional facial recognition may not be possible. Gurjar, currently the Deputy Commissioner of Police North, Raipur, said that every individual has a distinctive walking pattern shaped by skeletal structure, posture, stride and biomechanics. Even when a suspect conceals facial features, these characteristics often remain consistent, he said. Gurjar said that if forensic experts establish a match between the CCTV footage and the accused's gait, it could significantly strengthen the chain of circumstantial evidence by placing the accused at the crime scene. However, he emphasised that gait analysis is corroborative evidence and cannot, by itself, establish guilt. It must be supported by forensic findings, digital evidence and witness testimony.

# Huge Theft At Ram Mandir During Kumbh, Spotlight On 2 Brothers-In-Law: Cops

**Ram Mandir Theft Case: The probe has revealed that the brother-in-law duo, Lavkush Mishra and Anukalp Mishra, stole the maximum amount.**

**Ayodhya:**In a major revelation in the Ram Mandir donation theft case, the Ayodhya Police probe has found that the maximum theft at the Ram Temple took place during the Kumbh Mela in early 2025. According to police, some of the eight arrested accused were involved in petty thefts even before the Kumbh. But during the Kumbh, there was a massive surge in offerings and donations at the temple. The accused took advantage of this and colluded to carry out a major theft, police said. Eight accused have been arrested by the SIT so far: Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lav Kush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava, and Ramshankar Yadav alias Tinnu Yadav. The accused were grilled were for several hours by the SIT on Tuesday.

**Brother-In-Law Duo Stole Maximum Cash**

The probe has revealed that the brother-in-law duo, Lavkush Mishra and Anukalp Mishra, stole the maximum amount. According to police, this duo also bought properties using the stolen money. So far, police have traced over half a dozen properties linked to the two. Ayodhya Police is taking help from the Income Tax Department to examine the financial transactions and properties of the accused. During the investigation, the role of some SBI employees has also come under the scanner. Ayodhya Police will also write to the Enforcement Directorate to probe the money trail and financial transactions in depth. The counting of cash donations at the temple is authorised by SBI, which has engaged a private agency for the job. The cash offerings are made in four donation boxes and counted by a team of 14 people, including 11 bank staff and three from the temple trust.

**Cash Hidden In Blankets Inside Four Boxes**

The maximum cash was recovered from the Kaushalpuri hideout of accused Avinash Shukla, police said. NDTV visited the location, which is a yoga centre linked to Avinash Shukla's brother Abhishek. Seema Tiwari, who runs the yoga centre, said police raided the premises on June 5 and recovered a large amount of cash. Four boxes belonging to Abhishek were kept at the yoga centre. The cash was hidden inside blankets in these boxes. One box had 'Ram Rajya Kosh' written on it. According to Seema Tiwari, when Abhishek was asked about the raid and the cash, he claimed that his brother Avinash Shukla was in the drug trade and that was why the raid took place.

**Cash Recovered From Homes Of Accused**

Three days ago, Ayodhya Police visited the homes of all the accused for the probe. During this, cash was recovered from Tinnu Yadav's house. Tinnu Yadav was also the driver of former Trust general secretary Champat Rai. Sources said the probe found that while Tinnu Yadav had one key to the counting room, the second key was with bank staff. The money was allegedly siphoned off through collusion with bank staff. Tinnu Yadav and the bank employees took a share of the stolen money, sources said. Banking details were collected from the homes of all the accused, and records of their movable and immovable assets were obtained. The probe into the offering theft found transactions in the bank accounts of the accused that were far higher than their income. A year-long review of their accounts revealed transactions involving amounts much larger than their earnings or known sources of income. The maximum cash, Rs 89 lakh, was recovered based on information provided by accused Avinash Shukla. This money was recovered by the trust at its own level before the FIR was registered, police said.

# Char Dham helicopter booking lands government official in a scam

It began with a simple Google search for a helicopter service to Kedarnath for the Char Dham Yatra. On May 12, a government official found what appeared to be an authorised booking website, completed the payment in minutes and received confirmation and two tickets on WhatsApp and Gmail. But when his family reached the Phata helipad, they were in for a shock — the tickets were fake. Investigators said the website was part of a wider cyber fraud operation that allegedly targeted pilgrims across India. Three arrests have been made.According to police, the government official clicked on a Google link — 'irctc-heliyatra.com". The portal carried the tagline, 'Divine journey to four sacred Himalayan abodes', along with a package advertising '4 Dhams, 5N/6D from Rs 89,999' and photographs of the four pilgrimage sites.

# मुंबई में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरा: बस में फंसे एक छात्र की मौत

**11 घायल: सभी स्टूडेंट स्कूल से घर लौट रहे थे**

**मुंबई।** मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर प्राइवेट स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। बस में कुल 12 स्टूडेंट थे। उनमें से 11 का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बस में फंसे 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। स्कूल की छुट्टी के बाद प्राइवेट बस रोज की तरह बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। तभी रोड नंबर 11 पर सड़क किनारे लगे पेड़ की बड़ी डालियां बस की छत पर आ गिरीं, जिससे बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरह दब गया। पेड़ गिरते ही बस के अंदर मौजूद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला। मशीनों और कटर की मदद से पेड़ को काटा गया।

### परिजन घटनास्थल पर पहुंचे

हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने बच्चों की चिंता में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और सभी की निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ट्रैफिक को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है।

### 24 जून- मुंबई में बारिश से पेड़ उखड़े, कई गाड़ियां दबीं

मुंबई में 23 जून को 13 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हुई थी। इसके बाद से मुंबई में आंधी-बारिश जारी है। 24 जून को तेज बारिश के बाद अंधेरी सब-वे में पानी भर गया था। इसके बाद इसे अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था। वहीं विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रिटेनिंग वॉल गिर गई थी। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए थे, जिसकी चपेट में आने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था।

**सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम अनदेखी का मामला**

# नगर परिषद की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न

**पिछोर ( शिवपुरी )मध्यप्रदेश/बुन्देल सिंह ।** नगर परिषद पिछोर में सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर द्वारा जारी स्पष्ट आदेश के बावजूद करीब 19 माह बीत जाने पर भी आवेदक को मांगे गए प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इस मामले ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे। समय पर सूचना नहीं मिलने पर मामला संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचा। इसके बाद 29 अक्टूबर 2024 को स्पष्ट आदेश जारी कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन आदेश आज तक कागजों में ही सीमित है। आवेदक का कहना है कि वह लगातार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उसे टाल दिया जाता है। इससे न केवल RTI कानून की भावना को ठेस पहुंची है, बल्कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना हुई है। मामले को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें देने से अधिकारी बच रहे हैं। क्या किसी बड़े घोटाले, अनियमितता या प्रशासनिक गड़बड़ी पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है? यदि संयुक्त संचालक के आदेशों का यह हाल है, तो आम नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार होता होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

### जनता पूछ रही है:

क्या उच्च अधिकारियों के आदेश नगर परिषद में कोई मायने नहीं रखते?

आदेश के 19 माह बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी?

# बंगाल से कश्मीर तक 1500किमी. लंबी मानसून पट्टी बनी

## इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश संभव, 26 राज्यों में मानसून पहुंचा

**भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना।** मानसून ने मंगलवार दोपहर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है। उधर, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के करीब स्थित है। यह ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

### समझें, मानसून ट्रफ क्या होती है

मानसून ट्रफ कम दबाव क्षेत्र की एक लंबी पट्टी

होती है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून की रीढ़ माना जाता है। यह ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाओं को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक खींचकर लाती है। इसी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होती है।

### असम में बाढ़, 22 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित

अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। अरुणाचल में बारिश से लेकू नदी उफान पर आ गई, जिससे असम के जोनाई इलाके में भीषण बाढ़ आ गई। नेशनल हाईवे-515 भी डूब गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, बाढ़ से राज्य के छह जिलों में 22 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर धेमाजी जिले में पड़ा है, जहां करीब 16 हजार लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से 96 गांव डूब गए हैं, करीब 1690 हेक्टेयर फसल और 48 हजार से ज्यादा जानवर प्रभावित हुए हैं।

### 6 राज्यों में गर्मी का असर, पारा 40डिग्री पार

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई शहरों में मंगलवार को पारा 40डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा हरियाणा के रोहतक में 43.5डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में 43.4डिग्री, यूपी के बांदा में 43.2डिग्री, मध्य प्रदेश के खजुराहो में 41.2डिग्री, पंजाब के आनंदपुर साहिब में 40.6डिग्री और गुजरात के सुरेंद्रनगर में 40.5डिग्री रहा।

### भारत में 9 करोड़ बच्चे हीटवेव की चपेट में

यूनिसेफ की चिल्ड्रन्स क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत में करीब 8.93 करोड़ बच्चे ऐसे इलाकों में रहते हैं, जहां हीटवेव का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के लगभग 99.7 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी जलवायु संबंधी खतरे का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 96.2 प्रतिशत भारतीय बच्चे सूखे के खतरे वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 92 प्रतिशत बच्चे तेज गर्मी से प्रभावित हैं, जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। रिपोर्ट ने बच्चों पर बढ़ते जलवायु संकट को गंभीर चिंता का विषय बताया है।

# अमेरिकी सांसद बोले-भारत से 30 साल में सबसे खराब रिश्ते

## ट्रम्प के एकतरफा फैसले ने भरोसा तोड़ा, यकीन न हो तो जयशंकर से पूछिए

**वॉशिंगटन डीसी।** भारतीय मूल के अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट 2026 में उन्होंने कहा कि ट्रम्प की टैरिफ नीति, ईरान के साथ युद्ध और सहयोगी देशों से बिना सलाह लिए फैसले करने से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा है। खन्ना ने कहा मैं बातों को घुमाकर नहीं कहता। भारत-अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। ईरान युद्ध का असर भारत में गैस की कीमतों पर भी पड़ा। अगर भरोसा नहीं है तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पूछ लीजिए।

### खन्ना बोले- टैरिफ से भरोसे की एक पीढ़ी खत्म हो गई

रो खन्ना ने ट्रम्प की टैरिफ नीति को भी गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में चीन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक भारतीय राजदूत से हुई। खन्ना के मुताबिक राजदूत ने उनसे कहा, 'आपके राष्ट्रपति की

वजह से भरोसे की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है।' उन्होंने कहा कि अगर ट्रम्प की नीतियों से हुए नुकसान को स्वीकार नहीं किया गया तो यह सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। रो खन्ना ने ट्रम्प को 'लेम डक' राष्ट्रपति बताते हुए दावा किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगले मिड-टर्म चुनाव में प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करेगी और 2028 का राष्ट्रपति चुनाव भी जीतेगी। नई पीढ़ी को अमेरिका के साथ-साथ दुनिया के देशों के साथ उसके रिश्ते भी दोबारा मजबूत करने होंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट का जिक्र करते हुए कहा कि वे दुनिया के देशों के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी समर्थन करते थे।

### अमेरिकी राजदूत बोले- भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं

कार्यक्रम में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता है और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को पूरी तरह स्वीकार करता है। गोर ने कहा, 'हम भारत के साथ एक और बड़े समझौते को पूरा करने के बहुत करीब हैं। प्रस्तावित व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है।' गोर ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली में एक भारतीय मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। मंत्री ने कहा, खबरों में चाहे जो दिखे, 50 साल बाद भी भारत और अमेरिका दोस्त रहेंगे। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र।

### गोर ने मोदी-ट्रम्प की दोस्ती का किस्सा भी सुनाया

गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की दोस्ती का एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले ट्रम्प सुबह 6 बजे (भारतीय समयानुसार) ही पीएम मोदी को फोन करना चाहते थे।

# पुणे मर्डर- क्या हुडी में दिखा व्यक्ति चेतन ही था

## पुलिस चलने का तरीका जांचेगी, सिया का केस लड़ने पर 2 वकीलों का दावा

**पुणे।** पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस करेगी। गेट एनालिसिस यानी पुलिस चेतन के चलने का तरीका, बॉडी मूमेंट, कदमों की लंबाई की जांच करेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दावा है कि 18 जून को (मर्डर वाले दिन) लोहगढ़ फोर्ट पर हुडी पहने दिखा युवक चेतन ही था। इधर, मर्डर के इस मामले में नया कानूनी विवाद सामने आया है। आरोपी सिया का केस लड़ने को लेकर आशुतोष श्रीवास्तव नाम के वकील और सिया के परिवार के बीच विवाद की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, 2 वकीलों आशुतोष श्रीवास्तव और विपुल दुशिंग ने सिया गोयल की ओर से कोर्ट में पैरवी करने का दावा किया है। आशुतोष का कहना है कि सिया गोयल ने अपना केस लड़ने के लिए उन्हें नियुक्त किया है। 29 जून को सिया के भाई साहिल ने कहा कि हमारे वकील विपुल दुशिंग हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हमारे वकील नहीं है, वे हम पर प्रेशर बना रहे हैं। इसके बाद श्रीवास्तव ने साहिल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा।

### दो वकीलों का विवाद कब शुरू हुआ

मामला 29 जून को सुनवाई के दौरान बड़ा। जब वडगांव मावल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिया ने कथित तौर पर कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं। मेरी ओर से विपुल दुशिंग पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद आशुतोष श्रीवास्तव ने साहिल गोयल को कानूनी नोटिस भेजकर 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। नोटिस में उन्होंने मांग की है कि साहिल (सिया का भाई) उनके खिलाफ दिए गए कथित बयान तुरंत वापस लें। सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें। केतन मर्डर केस में आरोपी चेतन चौधरी राजस्थान के जोधपुर के पलासनी गांव का रहने वाला है। दैनिक भास्कर ने चेतन के दोस्तों से बातचीत की है। उनके मुताबिक, चेतन के पिता की दुकान (किराना) के सामने सिया गोयल के पिता का ऑफिस है।

# पाकिस्तान बोला- हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे: सिंधु जल संधि अब भी लागू, भारत इसे एकतरफा खत्म नहीं कर सकता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। वहीं अताउल्लाह तरार ने कहा कि सिंधु जल संधि कानूनी रूप से अब भी लागू है। भारत इसे न तो एकतरफा स्थगित कर सकता है, न रद्द कर सकता है और न ही इसमें बदलाव कर सकता है।

### सिंधु जल संधि पर सेमिनार करेगा पाकिस्तान

पाकिस्तानी मंत्रियों ने बताया कि मंगलवार को इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार किया जाएगा। इसमें कानूनी

एक्सपर्ट, जल एक्सपर्ट्स और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। सेमिनार में संधि के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी। डॉन के मुताबिक, तरार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पाकिस्तान के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले भी साफ कर चुके हैं कि पानी हमारी जीवनरेखा है और यह हमारी रेड लाइन भी है।

### 21 जून को PAK रक्षा मंत्री बोले थे- भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं की जाएगी।

### भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या है?

सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंडस्टिल समझौता हुआ। इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। ये समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है।

# कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पर 11वें दिन प्रदर्शन

## भूख हड़ताल कर रहे वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, पुलिस पर समर्थकों को रोकने के आरोप

**नई दिल्ली।** नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का 11वें दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच वहां तीन दिनों से भूख हड़ताल कर रहे लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। आंदोलन के आयोजकों ने बताया कि वांगचुक का ब्लड शुगर स्तर घटकर 66 पर पहुंच गया है, जो सामान्य से कम माना जाता है। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। समर्थकों और पार्टी के सदस्यों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोका जा रहा है। कुछ लोगों को पहचान पत्र नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया।

### सोनम वांगचुक 170 दिन जोधपुर जेल में रहे

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक 170 दिन से वे जोधपुर जेल में थे। सोनम के अनशन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह हिंसा हुई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हुई थी। 90 लोग घायल हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने इस हिंसा को भड़काया। दो दिन बाद 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक को हिरासत में लिया था। इसके बाद उन्हें फौरन जोधपुर शिफ्ट कर दिया था।

### दीपके का दावा- राजस्थान पैरामेडिकल का पेपर जयपुर में लीक हुआ

पेपर लीक सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है, बल्कि कई परीक्षाएं अनियमितताओं का शिकार हो रही हैं। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल परीक्षा का पेपर भी जयपुर के कॉलेज से लीक हुआ। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपका पेपर भी लीक हो सकता है और आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। सरकार और प्रशासन पेपर माफिया पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को रोकने पर ध्यान दे रहे हैं। आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम वायरस नहीं हैं, बल्कि उस वायरस के खिलाफ वैक्सीन हैं। डबल इंजन वाली सरकार में डबल इंजन-डबल लीक हो रहा। दबाव और रोक-टोक के बावजूद प्रदर्शन जारी रहेगा।

### छात्र संगठनों का भी समर्थन

प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छह छात्र नेता भी शामिल हैं, जो अलग मंच से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव दानिश समेत अन्य छात्र नेता शामिल हैं। सीजेपी का यह आंदोलन 20 जून से जारी है और इसकी शुरुआत नीट समेत कई परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों और पेपर लीक के विरोध में की गई थी। पार्टी ने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षा के साथ-साथ अन्य जवाबदेही से जुड़े मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा बनाए जाएंगे।

### सीजेआई की टिप्पणी के बाद बनी सीजेपी, युवाओं को कॉकरोच कहा था

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई। 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस टिप्पणी के अगले दिन, 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने सीजेपी की शुरुआत की और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। 22 मई को उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की, जिसे 8 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिलने का दावा किया गया। 10 जून तक सीजेपी ते इंस्टाग्राम पर 2.27 करोड़ फॉलोअर्स थे। अब इसमें दो लाख की गिरावट आई है। फिर भी यह संख्या भाजपा के 94 लाख और कांग्रेस के 1.37 करोड़ फॉलोअर्स से ज्यादा है। एक्स पर सीजेपी के 2.79 लाख फॉलोअर्स हैं।

### महाराष्ट्र के रहने वाले अभिजीत आप से जुड़े थे

30 साल के अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रैटजिस्ट हैं। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढाई की है। फिलहाल, अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं।

# जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ पद से रिटायर

## बोले- सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, ऑपरेशन सिंदूर उदाहरण; नए जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभाला

**नई दिल्ली।** जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्विवेदी ने कहा- दो सालों में भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी, संतुलन और सतर्कता मजबूत बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज मैं यह जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप रहा हूं। वह एक अनुभवी सैनिक और सक्षम नेता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं को कायम रखते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। द्विवेदी की जगह जनरल धीरज सेठ ने ली है। उन्होंने आज कार्यभार संभाल लिया है। सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। उन्हें भारतीय सेना में लगभग चार दशक का अनुभव है। उन्होंने दिसंबर 1986 सेना ज्वॉइन की थी।

### जनरल द्विवेदी ने कहा- भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर तैयारी रखी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि उत्तरी सीमाओं पर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत हमारी तैनाती पूरी मजबूती और चौकसी के साथ रही। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने गंभीरता और संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मामले में भारतीय सेना ने स्पष्ट उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाए हैं, जिससे न्यू नॉर्मल की नई परिभाषा स्थापित हुई है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और मजबूत हुआ है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने साझा दृष्टिकोण, आपसी विश्वास और बेहतर समन्वय के साथ काम किया है।

# बंगाल- हल्दिया रिफाइनरी के पास आग लगी, 1 की मौत

## 20 से ज्यादा घायल, पास से गुजर रही रेलवे लाइन पर भी असर, ट्रेन सर्विस प्रभावित

**हल्दिया।** पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सोमवार देर रात 2.45 बजे हल्दिया रिफाइनरी के पास भीषण आग लग गई, जिससे एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर है। आग की चपेट में हल्दिया नगर पालिका के वार्ड-13 के चिरंजीबपुर इलाके के कई घर आ गए थे। पुलिस के मुताबिक, सभी पीड़ितों को हल्दिया सब-डिविजनल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पांच घायलों को तमलुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया। आग पर काबू पाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई थीं। दोपहर 2 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। साउथ रेलवे के मुताबिक जहां आग लगी उसके पास से हल्दिया और दुर्गाचक लाइन गुजरी है। सुरक्षा के मद्देनजर अगले आदेश तक के लिए ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हल्दिया रिफाइनरी में आग लगने की खबरों को खारिज किया है।

# सरकार बोली- पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना एक एक्सपेरिमेंट

## असर अगले साल पता चलेगा: सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथेनॉल खरीद बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश BPCL की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। BPCL ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा।

### क्या है एथेनॉल सप्लाई का विवाद

एथेनॉल सप्लाई का यह विवाद कर्नाटक की विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। विन्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि उसका एथेनॉल बनाने का प्लांट है। इसकी सलाना उत्पादन क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है, लेकिन उसे केवल 3.92 करोड़ लीटर का आवंटन किया गया है। सरकार ने कहा था कि किसी कंपनी को पहले ज्यादा आवंटन मिला तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को हर बार उतनी ही मात्रा में आवंटन मिलेगा। हाईकोर्ट ने **BPCL**को खरीद कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ **BPCL**ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट रूम लाइव- अटॉर्नी जनरल- यदि एक सप्लायर का कोटा बढ़ाया जाता है तो अन्य

कंपनियां भी समान मांग लेकर अदालत पहुंच सकती हैं। इससे देशभर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है और नेशनल पॉलिसी प्रभावित होगी। एथेनॉल सप्लाई के अनुबंध अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप ले चुके हैं। 378 सप्लायर्स को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का आवंटन किया गया था, जिनमें से 18 जून तक 680 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हो चुकी थी। अटॉर्नी जनरल: इसी तरह की कई याचिकाएं देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। इस मुद्दे पर अक्टूबर से पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि उसी समय एथेनॉल सप्लाई का नया एग्रीमेंट होना है।

### सरकार बोली- 1.4 लाख करोड़ की बचत हुई

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण योजना से कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है और प्रदूषण भी कम हुआ है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल से पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिल रहा है। अब सरकार ने 2030 तक 30% एथेनॉल मिश्रण का नया लक्ष्य रखा है।

### सरकार ने E20 को बताया सुरक्षित

हाल के दिनों में कुछ लोगों, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आशंका जताई है कि **E**20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है और ईंधन दक्षता कम हो सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। तेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि **E**20 ईंधन से वाहन इंश्योरेंस अमान्य होने या वाहनों को नुकसान पहुंचने के दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं। मंत्रालय के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित, उपभोक्ता हितैषी और आर्थिक रूप से फायदेमंद है।

### हाईकोर्ट ने कहा था- एथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर विचार करें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने **BPCL**, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया था कि वे **VINP** डिस्टिलरीज एंड शुगर्स की 2025-26 के लिए ज्यादा एथेनॉल आवंटन की मांग पर विचार करें। कोर्ट ने कहा था कि सरकार की नीति के तहत बने ऐसे एथेनॉल प्लांट, जो सिर्फ ऑयल कंपनियों को एथेनॉल बेचते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट के तहत मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ मिलना चाहिए।

### कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा

सरकार के मुताबिक, अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है।
सरकार का कहना है कि इस योजना से भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है और किसानों को भी फायदा मिला है। भारत पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से पांच साल पहले हासिल कर चुका है। एक अप्रैल से पूरे देश में ई 20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

# एसआईआर पर 23 विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखा

## डीएमके ने भी दस्तखत किए, बोले- चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी

**नई दिल्ली।** चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (स्क्रूक्र) प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। DMK के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, जबकि लोकतंत्र का आधार सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार देना है। लेटर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं।

### एसआईआर प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों में लोगों पर प्रभाव पड़ा

सूत्रों के मुताबिक, लेटर पर साइन करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वाम दलों के नेता शामिल हैं। लेटर में कहा गया है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं अपेक्षित तरीके से काम नहीं करतीं, तब देश की जनता न्यायपालिका की ओर उम्मीद से देखती है। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका और एसआईआर प्रक्रिया से विभिन्न राज्यों में लोगों पर पड़े प्रभाव की बात की गई।

### कांग्रेस महासचिव बोले- विपक्ष एकजुट है

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में लेटर भेजने का फैसला लिया गया था। **TMC** सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल बीजेपी को फायदा पहुंचाने और चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से विपक्षी दलों ने सीजेआई को लेटर लिखकर चुनावी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग की है। सागरिका ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 23 विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सीजेआई को लेटर लिखकर न्यायपालिका से अपील की है कि **SIR** प्रक्रिया का इस्तेमाल बीजेपी के फायदे के लिए किस तरह किया जा रहा है, इसकी जांच की जाए। **INDIA** ब्लॉक की 8 जून को 2 साल बाद 7वीं बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें 25 दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे।

एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

गठबंधन हर 2 महीने में और मानसून सत्र के दौरान भी बैठक करेगा। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी।

# राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदलः 100 पुलिस-निरीक्षकों के तबादले

## सबसे अधिक पोस्टिंग अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा रेंज में, सतपाल सिंह का ट्रांसफर निरस्त

**जयपुर।** राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेशभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 100 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के तबादला आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण संबंधित अधिकारियों की स्वयं की प्रार्थना के आधार पर किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जारी सूची के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर, आयुक्तालय जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और कोटा रेंज के अलावा सीआईडी-सीबी, सीआईडी-सीबी सतर्कता शाखा, सीआईडी-सीबी सिविल राइट्स, एटीएस-एसओजी, एसीबी, जीआरपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, प्रशिक्षण निदेशालय, पीटीएस भरतपुर, पीटीएस जोधपुर, पीटीएस खैरवाड़ा, पीटीएस बीकानेर, एजीटीएफ, लीगल सेल, पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, एससीआरबी तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग सहित कई इकाइयों में कार्यरत निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची में रोहिताश, मेघना त्रिपाठी, हेमलता शर्मा, तुलसीराम, नरेंद्र सिंह, सुनील

ताडा, मोहन सिंह, मुकेश चौधरी, छोटीलाल मीणा, रामेश्वरी, जगदीश सिंह, मुकेश चंद, करतार सिंह, प्रहलाद चंद, दिग्विजय सिंह, मुरारीलाल मीणा, सुमेर सिंह, हरिमन मीणा, हीरालाल, अजीत कुमार, कुसुमलता, तेजपाल सैनी, बच्चू सिंह, युधिष्ठिर, कंचन कुमारी, मांगेलाल, हरलाल, दयाराम मीणा, सुरेंद्र यादव, चौथमल बलाई, लक्ष्मीनारायण, कमल पुरी गोस्वामी, सत्यवीर, बशीलाल, महेंद्र सिंह, केशर, चंद्रवीर, अवधेश सांदू, महेश श्रीमाली, सुरेंद्र कुमार राणा, ज्ञानचंद, गंभीर सिंह, रामभरोसी मीणा, हरीसिंह मीणा, मदनलाल, हरेंद्र सिंह सौदा, आनंद यादव, मोहम्मद रफीक, माधोसिंह, दीप सिंह, प्रवीण राजपुरोहित, मिठूलाल मेघवाल, दलबीर सिंह, नेहरीलाल गुर्जर, हिमांशु सिंह राजावत, भीमसेन कौशिक, सुखवीर सिंह, प्रेमचंद, प्रदीप सिंह, विकांत शर्मा, विक्रम सिंह, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, गौरव प्रधान, सुधीर कुमार उपाध्याय, कमल किशोर, लीला कुमारी, चंपाराम मेघवाल, सुरेश कुमार सोनी, भारत सिंह, अमित कुमार, शिवदास, महीराम बिश्नोई, बेगराज मीणा, रमेशचंद मीणा, राजेश कुमार, संगीता बंजारा, सुरेशचंद मेघवाल, राजेश शर्मा, शैफाली सांखला, सरोज कुमारी, मोहनलाल, जितेंद्र कुमार गंगवानी, भरत सिंह, धर्मसिंह, अर्चना मीणा, रामकेश मीणा, भवानी सिंह राजावत, गीता कुमारी, संजू रानी, उर्मिला कुमारी, अशोक, नेकीराम, शेषकरण बारहट, मुकेश कुमार मीणा, विनोद कुमार शर्मा, अशोक कुमार सैनी, मनीषा, रूपनारायण तथा हरिसिंह देपावत समेत कुल 100 निरीक्षकों को नई तैनाती दी गई है।

आदेश के अनुसार सबसे अधिक पदस्थापन अजमेर रेंज, भरतपुर रेंज, जयपुर रेंज, जोधपुर रेंज, उदयपुर रेंज, कोटा रेंज, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर तथा सीआईडी-सीबी में किए गए हैं। कई अधिकारियों को एटीएस-एसओजी, जीआरपी, एसीबी, प्रशिक्षण संस्थानों और पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं में भी भेजा गया है।

पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रकरण अथवा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-16 के तहत कार्रवाई विचाराधीन या प्रस्तावित है, उन्हें फील्ड में पदस्थापित नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय ने 19 जून 2026 को जारी आदेश संख्या 1521 के तहत क्रम संख्या-3 पर अंकित पुलिस निरीक्षक सतपाल सिंह का अजमेर रेंज से पुलिस आयुक्तालय जयपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया है। सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों, प्रशिक्षण संस्थानों के कमांडेंट और संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजें।

### बीते दिनों भी हुए थे ट्रांसफर

उस समय जयपुर के पुलिस आयुक्तालय और छह्न में भी कई अहम बदलाव देखने को मिला था। रमेश कुमार पारीक, ओम प्रकाश मीणा और सुरेश कुमार स्वामी को जेडीए में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती मिली। राजधानी में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए एसीपी भी लगाए गए। जबकि बीते मई महीने में 19 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए। उस समय दौसा, कोटपुतली-बहरोड़, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू सहित कई जिलों के थाना प्रभारियों व निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ था।

## पूर्व एमएलए बलजीत-यादव को राहत नहीं,5 महीने से जेल में

### हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; विधायक निधि के दुरुपयोग और गबन का आरोप

**जयपुर।** बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आज पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 25 जून को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में 3 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी मामलों की विशेष अदालत ने 25 अप्रैल को बलजीत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व विधायक की ओर से हाईकोर्ट का रुख करते हुए जमानत याचिका दायर की गई थी।

### ईडी ने कहा-गबन की राशि से संपत्तियां खरीदी

बहस के दौरान ईडी ने कहा कि इस मामले में एसीबी ने 12 दिसंबर 2024 को बलजीत यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि जिन फर्मों को काम के ठेके दिए गए वो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद बनाई गई अथवा उनके जीएसटी पंजीकरण फर्जी थे। इन फर्मों के जरिए धनराशि यादव के सहयोगियों और रिश्तेदारों तक पहुंचाई गई। ईडी ने कहा कि बलजीत यादव ने गबन के 2.78 करोड़ रुपए से संपत्तियों की खरीद और राजनीतिक खर्चा किया।

### यह था घोटाला

2021 में बलजीत यादव ने विधायक रहते हुए अलवर के 32 सरकारी स्कूलों में क्रिकेट बैट, बैडमिंटन किट और अन्य सामग्री खरीदी में भूमिका निभाई थी। आरोप है कि सामान ढाई-तीन गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा। सामग्री घटिया क्वालिटी की थी। 3.72 करोड़ की हेराफेरी में यादव की भूमिका थी। इस केस में बालाजी कम्पलीट सोल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड, सूर्या इंटरप्राइजेज, राजपूत स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज, शर्मा स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज के संचालक व शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं।

## सीएम बोले- यमुना के पानी से किसान सोना पैदा करेगाः कांग्रेस पहले 1994 के समझौते को पढ ले, हम बिजली में भी सरप्लस होंगे

**जयपुर।** शेखावाटी के तीन जिलों (सीकर, चूरू और झुंझुनूं) तक यमुना का पानी लाने को लेकर 29 जून को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। एमओए के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर लौटे। एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक रोड शो किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो आलू से सोना बनाएंगे। मैंने शेखावटी के लोगों से कहा था कि हम यह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यमुना का पानी लेकर आएंगे। जिसके बाद हमारा किसान जरूर सोना पैदा करेगा।

### राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा

सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि आज का दिन राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी तो सबसे पहले हमने राजस्थान का रोडमैप बनाया कि सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। सभी की मांग थी कि राजस्थान को अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमारे किसान को पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी जनता को चाहिए। हमारी कई परियोजनाएं 40-50 साल से लंबित थी।

ईआरसीपी, यमुना जल समझौता और देवास परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं पर हमने पिछले ढाई साल में काम किया है।

### कांग्रेस ने शेखावाटी के लोगों के साथ किया अन्याय

सीएम ने कहा कि आज मैं कांग्रेस के लोगों के बयान देख रहा था। वे 5 दिन पहले कुछ और कह रहे थे। हमने कहा कि इसका जवाब हम तभी देंगे, जब हमारा यह समझौता हो जाएगा। लेकिन आज उनके सुर बदल गए हैं। शेखावाटी के लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। कांग्रेस के लोगों ने शेखावाटी के साथ जितना अन्याय किया, उतना किसी ने नहीं किया। जब वोट का समय आता था तो यह शिलान्यास कर देते थे। यमुना के पानी के सपने दिखाते थे। लेकिन इन्होंने आज तक इसे लेकर एक पत्र भी नहीं लिखा।

### कांग्रेस ने हमेशा परियोजनाओं को रोककर उन्हें अटकाने का काम किया

सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा परियोजनाओं को अटकाने का काम किया है। उन्होंने केवल जनता को वोटों की खातिर लुभाने का काम किया।

### राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलेगा

सीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल की कोई भी बड़ी परियोजना बता दें, जिसे शुरू किया हो। सीएम ने कांग्रेस के उस बयान पर भी पलटवार किया था, जिसमें राजस्थान को कम पानी मिलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि साल 1994 में हुए समझौते के अनुसार ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलेगा।

### कांग्रेस ने राजस्थान के लोगों के दर्द को कभी महसूस नहीं किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक राजस्थान, हरियाणा और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने हमारे शेखावाटी और राजस्थान के लोगों के दर्द को कभी महसूस नहीं किया। उन्होंने इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया।

## जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के बीच मारपीटःएक घायल, हनुमान चालीसा पढ़ने पर टोका; फिर नुकीली वस्तु से हमला करने का आरोप

**जयपुर।** जयपुर की सेंट्रल जेल में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विचाराधीन बंदियों में मारपीट हो गई। जिससे एक बंदी घायल हो गया। आरोप है कि हनुमान चालीसा पाठ कर रहे बंदी पर दूसरे बंदी ने नुकीली वस्तु से हमला कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल बंदी का तुरंत इलाज कराया। लालकोठी थाना पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच के अनुसार, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे एक बंदी को दूसरे बंदी ने टोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपीट हो गई। लालकोठी थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

## 20 साल पुराने पांचना-बांध जल विवाद पर बनी सहमति

### जयपुर में किरोड़ी समेत 3 मंत्रियों ने दोनों पक्षों से की वार्ता, 6 जुलाई तक खुलेगा पानी

**जयपुर।** राजस्थान के 20 साल पुराने पांचना बांध जल विवाद को लेकर जयपुर में हाईलेवल मीटिंग में मंगलवार देर रात सहमति बन गई। बांध का पानी 6 जुलाई तक खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति पत्र पर साइन किए। इससे पहले शिक्षा संकुल के माधव सभागार में मंगलवार रात 8 बजे बैठक हुई थी। जिसमें सरकार के तीन मंत्रियों और दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं बन पाई थी। कमांड एरिया के किसान बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए थे। इसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी नाराज होकर बाहर निकल गए थे।

### रात में दोबारा हुई बैठक

दो घंटे बाद रात 10 बजे फिर से कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शिक्षा संकुल के माधव सभागार में पहुंचे। यहां किरो?ी ने पांचना बांध विवाद को लेकर मंत्री सुरेश रावत और जवाहर सिंह के साथ बातचीत की। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने दोनों पक्षों के किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करके विवाद को सुलझाया।

## पांचना-बांध विवाद पर हाईकोर्ट नाराज, कहा-पानी क्यों नहीं दे रहेः 15 दिन का दिया समय, कलेक्टर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा

**जयपुर।** पांचना बांध से पानी छोड़ने के विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा हैं। इस पर सरकार ने अदालती आदेश की पालना के लिए 15 दिन का समय मांगा। कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए कहा कि अगर नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो कलेक्टर और संबंधित अधिकारी 27 जुलाई को कोर्ट में पेश हो जाए। यह निर्देश बेंच ने मंगलवार को विधायक रामकेश मीणा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

### पिछले 21 साल से नहीं मिल रहा पानी

वकील सारांश सैनी ने कोर्ट को बताया कि पांचना

बांध से साल 1987 से 2005 तक कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा जा रहा था लेकिन प्रदेश में गुर्जर आंदोलन के बाद उनकी मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया। जिसके कारण साल 2006 से नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों (मुख्य रूप से मीणा बहुल) के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट साल 2020 और इसी साल अप्रेल-मई में नहरों में पानी छोड़ने का आदेश दे चुका हैं लेकिन प्रशासन आदेश की पालना नहीं कर रहा हैं।

### क्या है पांचना बांध विवाद

पांचना बांध विवाद मुख्य रूप से राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिलों के 74 गांवों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 20 सालों से चल रहा हैं। बांध के आस-पास के 39 गांवों (मुख्य रूप से गुर्जर बहुल) का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीनें गई, इसलिए पहला हक उनका है, उन्हें डर है कि नहरों में पानी छोड़ने से उनके खुद के क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नहरों के अंत में बसे कमांड एरिया के 35 गांवों (मुख्य रूप से मीणा बहुल) के किसानों को 2006 से सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। उनकी मांग है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहरों में तुरंत पानी छोड़ा जाए क्योंकि पानी नहीं मिलने से उन्हें हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पिछले महीने हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला गरमा गया था। विवाद को लेकर गुड़ला-पांचना संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। हालांकि पांच दिन पहले सरकार के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया था।

स्वामी एवं प्रकाशक महावीर प्रसाद पारीक एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 220, पारीकों का मोहल्ला, दीनदयाल पारीक, खिंवज नागौर, राजस्थान-341303 नागौर से प्रकाशित, संपादकः महावीर प्रसाद पारीक 9079775151, E-mail legalambit.ho@gmail.com, पीआरबी एक्ट के तहत खबरो के चयन के लिए जिम्मेदार* (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा)